

दिनांक 23.09.2014 को 4:00 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय स्थित मुख्य सभागार में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अंकेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में उपस्थित सचिव के अतिरिक्त श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी / श्री मनोज कुमार सिन्हा, कन्ट्रोलर फाईनान्स / श्री विजय गुप्ता, लेखा पदाधिकारी, BRDS एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी सम्मिलित हुए ।

ग्रामीण विकास अभिकरणों की तरफ से सभी उप विकास आयुक्त / उनके प्रतिनिधि तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों की तरफ से उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे जो की उपस्थिति पंजी के अनुसार है ।

कार्यवाही:-

1. बैठक में सचिव महोदय के द्वारा विभिन्न जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में चलाई गई योजनाओं के अंकेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त अंकेक्षकों के अंकेक्षण कार्यों की समीक्षा जिलावार की गई है ।
2. समीक्षा क्रम में सचिव द्वारा दिनांक- 30.09.2014 तक कम से कम मनरेगा के अंकेक्षण संबंधी प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया ।
3. सभी उप विकास आयुक्तगण को जिला स्तर पर अंकेक्षण कार्य को ससमय समाप्त करने हेतु अंकेक्षकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया ।
4. अंकेक्षण के कार्य में हो रहे विलम्ब के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए अगले साल फरवरी से मार्च तक सभी जिलों में अंकेक्षण कार्य हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति पूरी कर लेने का निदेश श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी को दिया गया ।
5. कुछ जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की प्रबंध समिति द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की नियुक्ति में देर से अनुमोदन किये जाने के कारण हुए विलम्ब को देखते हुए नियुक्ति पत्र को कंडिका- 6 में किये गये प्रावधान को निरस्त करने का आदेश दिया गया ।
6. मधेपुरा के उप विकास आयुक्त एवं वहाँ कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के प्रतिनिधि के द्वारा अंकेक्षण कार्य के समाप्त होने की सूचना दी गई । इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अन्य फर्मों एवं उप विकास आयुक्तों से अंकेक्षण कार्य अतिशीघ्र पुरा करने का अनुरोध किया गया ।
7. गया एवं गोपालगंज में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को देर से नियुक्ति पत्र निर्गत करने पर खेद व्यक्त करते हुए फर्मों से शीघ्रातिशीघ्र अंकेक्षण कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया गया ।
8. लखीसराय में अंकेक्षण हेतु प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, राकेश सौरभ एण्ड कंपनी के द्वारा वहाँ चानन ब्लॉक में अंकेक्षण किये जाने में प्रखंड स्तर पर सहयोग नहीं दिये जाने की बात कही गई । इस संदर्भ में सचिव द्वारा उप विकास आयुक्त, लखीसराय को निदेश दिया गया कि जिला मुख्यालय में अंकेक्षण कैम्प करा कर प्रखंड के सभी नाजीर एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारियों का रोकड़ पंजी एवं आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित होकर अंकेक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें ।

9. वर्ष 2011-12 में अंकेक्षण कार्य करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म MRK Associates का भुगतान अबतक नहीं होने पर खेद व्यक्त करते हुए उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर से विशेष रूचि लेकर भुगतान करने का अनुरोध किया गया ।
10. रोहतास, बेगुसराय, सीतामढ़ी (नरेगा), मुजफ्फरपुर, अरवल, दरभंगा, खगड़िया एवं बक्सर में पूर्व वर्ष के अंकेक्षण का भुगतान अबतक नहीं किये जाने के संबंध में वहाँ के जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त से इस संदर्भ में विशेष रूचि लेकर अविलम्ब भुगतान करवाने का अनुरोध किया गया ।
11. डी0आर0डी0ए0, अरवल में प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट KBDS & Co. के द्वारा गतवर्ष अंकेक्षण का कार्य करने वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म MRK Associates से NOC नहीं प्राप्त होने के संबंध में बताया गया । अरवल के डी0आर0डी0ए0 निदेशक को अविलम्ब MRK Associates का भुगतान कर NOC प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।
12. सचिव के द्वारा सभी जिलों में गतवर्ष अंकेक्षण का कार्य करने वाले सभी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के कार्यों का दिनांक- 30.09.2014 तक भुगतान करने का निदेश दिया गया ।
13. कुछ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के द्वारा देर से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने का हवाला देते हुए अंकेक्षण कार्य समय पर पूरा होने में असमर्थता जताई गई तथा यह अवधि 10 अक्टूबर तक बढ़ाने की माँग की गई ।

उपर्युक्त विचार विमर्श एवं निर्णयों के पश्चता धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई ।

(एस0एम0 राजू) भा0प्र0से0

सरकार के सचिव 24/9/14

जापांक 202987 /

पटना, दिनांक 25/09/2014

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/सी0ए0-03-03/2013

प्रतिलिपि:- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

24/9/14